

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(11)नविवि/रीट/2021

जयपुर, दिनांक :- 24 JUN 2021

आदेश

राजस्थान रियल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्यूनल में निम्न पदों को भरने की स्वीकृति वित्त (आय-व्यय) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 9(1)वित्त-1(1)आ.व्यय./2012 दिनांक 18.10.2019 के बिन्दु संख्या 2 पर नवीन पदों के सृजन पर प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करते हुए पदों को भरने की तिथि से दिनांक 28.02.2022 तक अस्थाई रूप से सृजित करने एवं भरने की सहमति रेप्सर एक्ट के तहत एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	पदनाम	स्वीकृत पद संख्या	पे-मैट्रिक्स
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	रजिस्ट्रार	1	L-21
2.	सहायक लेखाधिकारी-II	1	L-11
3.	रीडर	1	L-10
4.	शीघ्र लिपिक	2	L-11
5.	सूचना सहायक	2	L-08
6.	कनिष्ठ सहायक	2	L-05
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	L-01
8.	गार्ड	1	REXCO की दर एवं शर्तों पर
	योग	12	

उक्त सहमति निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान की जाती है जिनकी पालना ट्रिब्यूनल के स्तर से सुनिश्चित की जावेगी:-

1. उक्त समस्त पद पूर्णतः अस्थाई रहेंगे एवं केवल प्रतिनियुक्ति द्वारा ही पदों को भरा जा सकेगा। ट्रिब्यूनल का स्वयं का कोई स्थाई कैडर नहीं होगा।
2. पदों पर भर्ती सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर, प्रतिनियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी।
3. पदों के सृजन/भरने से होने वाला व्यय रेरा के कोष से किया जावेगा। इस हेतु राज्य सरकार से किसी प्रकार का अनुदान/सहायता प्रदान नहीं की जावेगी। उपलब्ध संसाधनों एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियोजित कार्मिकों की संख्या को कम कर लिया जावे।
4. वित्त विभाग की आई.डी. सं. 101703646 दिनांक 28.07.2017 द्वारा दिये गये परामर्श अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी.संख्या 102000249 दिनांक 31.03.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— १६ —

(राजपाल सिंह यादव)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्यूनल, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान रीयल एस्टेट अपीलियेन्ट ट्रिब्यूनल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी संख्या 102000249 दिनांक 31.03.2021 के क्रम में।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

23.6.2021
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय